

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां,
जिला - बुन्दी (राज.)

मोपाप बनाम रामप्रसाद

2/9/22

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/1/22

आव पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 89, 53 RA A के तहत प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के तहत धकील श्री रामबाल शर्मा ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का उपलब्धता किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर धकील धकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र की शर्त: कि साफ्टवेयर आव पत्र वर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिभावीगण को सुगर्ष हेतु तलब किता जाफर पत्रावली दिनांक 22/2/22 को पेश की।

16/2/22

वकील वादी ने आज उपस्थित होकर दल को वापस लेने की अनुमति हेतु प्रार्थना पेश किया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। बाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है। बाद पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तक मील का खिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बुन्दी)

